29-5-16 पत्रावली आज रोज पेशी अदालत मौजा मोडल पर पेश हुई। वादीया एवं प्रतिवादीगण के समन जारी तामील। उक्त तामील प्राप्त नहीं हुई। वादिया उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं. 3 ने उपस्थित। प्रतिवादी नं. 3 उपस्थित। प्रतिवादी नं 3 ने उपस्थित होकर कथन किया कि अगर वादिया के वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

वादिया द्वारा चाही गयी दादरसी के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री [illegible]
मुकेश कुमार

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया. तथा प्रतिवादी की प्रार्थना पर गौर किया गया। विवादित आराजियात ग्राम मोडल तहसील मोडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर हीरा पु० काना ½ गाज्जी राजस्वरूपी देवी W/o जयनारायण ½ खातेदार काश्त रहे के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल सम्वत 2070 से 2073 से होती है। उक्त आराजियात वादिया ने अपने स्वत्व व आधिपत्य में ले रखी व बेचान किया, जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व आधिपत्य एवं कब्जे के दस्तावेजों के अनुसार वादिया के नाम दर्ज है जिसकी ताईद विक्रय का इकरार वादिया के नाम दर्ज है जिसकी प्रति से होती है। प्रतिवादीगण ने भी पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रतिवादीगण ने भी उपस्थित होकर कथन किया कि अगर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम सब प्रतिवादीगण सहमत है।

अतः न्याय हित में वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मोडल तहसील मोडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं. 7946 व 9495/7910 की स्थित स्वत्व में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं प्रतिवादीगण करेंगे न किसी अन्य से करावेंगे। इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(देवी सिंह)
[illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट [illegible]